

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228660
SG-DL-E-31072021-228660

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 108
No. 210]	DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943	[N. C. T. D. No. 108

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

फा. सं. 1 (864)/एचआर-पैरा/स्वा0 एवं परि0कल्या0/2020/279.— दिनांक 13 जुलाई, 1959 के भारत का राजपत्र असाधारण भाग-2 खंड 3(i) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की जीएसआर संख्या 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद्वारा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में जूनियर रेडियोथैरेपी टैक्नीशियन के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (क) इन नियमों को जूनियर रेडियोथैरेपी टैक्नीशियन भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
(ख) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति
 (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विधि आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	जूनियर रेडियोथैरेपी टैक्नीशियन
2.	पदों की संख्या	:	02* (2021) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर-4 (25500-81100) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिलनीय) टीप :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य योग्यता :— (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित सीनियर सैकेंडरी (10+2)। (2) विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र (दो वर्षीय कोर्स) अथवा रेडियोथैरेपी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआईआरबी) से समकक्ष प्रमाण पत्र अथवा रेडियोथैरेपी में विज्ञान स्नातक अथवा

			रेडियोथैरेपी विषय के साथ रेडियोग्राफी में विज्ञान में स्नातक
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	02 (दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100% सीधी भर्ती द्वारा नोट:- पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी— (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ख) कालम 7 के अन्तर्गत भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ रखने वाले। नोट:- केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदान्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	‘ग’ वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) (1) विशेष सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष (2) उप-सचिव, स्वा0 एवं परि0 कल्या0, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य (3) उप-निदेशक (शहरी विकास)– सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन चौपड़ा, उप-सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 30th July, 2021

F. No. 1(864)/HR-Para/H&FW/2020/279.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, GSR No. 840 Dated 13th July 1959 published in Part-II section 3 (i) of Gazette Dated 13th July, 1959 of India Extraordinary the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Radiotherapy Technician in the Department of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** (i) These rules may be called the Junior Radiotherapy Technician Recruitment Rules, 2021.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, Pay Level in the Pay Matrix:** – The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
4. **Disqualifications** – No person-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories on persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

SCHEDULE

(1) Name of Post.	(2) Number of Post.	(3) Classification.	(4) Level in the pay matrix.	(5) Whether Selection post or non-selection post.
Junior Radiotherapy Technician	02 *(2021) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500 - 81100/-) as per 7 th CPC	Not-Applicable

(6) Age limit for direct recruits.	(7) Education and other qualifications required for direct recruits.	(8) Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	(9) Period of Probation, if any.
Between 18-27 Years [Relaxable as per orders and instructions or orders issued by	Essential Qualification:- 1. Sr. Secondary (10+2) with science from a recognized Board.	Not Applicable.	02 (Two) years

the Central Government time to time] Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India [and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangti Subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep].	2. Certificate (02 years course) in radiation therapy technology or equivalent certificate from a Atomic Energy Regulatory Board (AERB) recognized institution with infield training in radiotherapy. OR B.Sc. in Radiotherapy OR B.Sc. in Radiography with Radiotherapy as a subject.		
--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by Deputation/ Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitments by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion /Deputation / Absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments.
100% by Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or on long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the Officers of Central Govt./State Govt./UT:- [a] Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department, or [b] Possessing the educational qualification prescribed for recruits under column no.07. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/department of the Central Government shall not exceed 03 years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.	Not Applicable.	Group 'C' DCC (For Considering confirmation); 1. Special Secretary/Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of NCT, Delhi: Chairman 2. Deputy Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of NCT, Delhi: Member 3. Deputy Director (UD): Member	Not Applicable..

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PAWAN CHOPRA, Dy. Secy (H&FW)